रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-06072024-255251
CG-HR-E-06072024-255251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2024/आषाढ 14, 1946
No. 348] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2024/ASHADHA 14, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 371(अ).—साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2024 का प्रारूप अधिसूचना सं. सा.का.नि. 245(अ) के तहत दिनांक 12 अप्रैल, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप खंड (i) में साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के संशोधन हेतु प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध कराए जाने के पैंतालीस दिनों के भीतर आक्षेप आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 12 अप्रैल, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में निर्धारित समयावधि तक जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. इन नियमों का नाम साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2024 है।

2. ये भारत के सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988, (जिसे इसके बाद मूल नियम कहा जाएगा) में, नियम 2 में खंड (आर) के बाद निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“(एस) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 5 के खंड (सी) के तहत नियुक्त या अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

(टी) "जाँच" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 5 के खंड (सी) में निर्दिष्ट जांच है।”

4. मूल नियम में, नियम 2 में निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:- “इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं, लेकिन जिन्हें इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, जैसा भी मामला हो, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम और नियम में हैं।“

5. मूल नियम में, नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“20.जुर्माना:-

(1) कोई भी अनधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी वस्तु के श्रेणीकरण और चिह्नांकन में संलिप्त पाया जाता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय किसी श्रेणी अभिधान चिह्न की जालसाजी करने की किसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है या किसी श्रेणी अभिधान चिह्न की जालसाजी करने के उद्देश्य से उसके पास कोई डाई, प्लेट या अन्य उपकरण है, तो उस पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय किसी भी ऐसे अनुसूचित वस्तु को बेचने की किसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार गलत श्रेणीकृत है या किसी भी निर्धारित श्रेणी के अनुरूप नहीं है तो उस पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 (ए) के प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय ऐसे किसी अनुसूचित वस्तु को बेचने में संलिप्त पाया जाता है जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा चिह्नित नहीं है, तो उस पर न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 (बी) की उपधारा 4 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।”

6. मूल नियम में, नियम 20 के बाद निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“21. न्यायनिर्णयन कार्यवाही:

(1) केंद्र सरकार द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किसी अधिकारी जो भारत सरकार के उप-सचिव के पद से नीचे का न हो द्वारा यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से संबंधित किसी वस्तु में इस अधिनियम की धारा 4, 5, 5(ए) और 5(बी) की उप-धारा (4) का उल्लंघन किया गया है, तो अधिकारी कथित उल्लंघन के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मामले की जांच करेगा जिसके तहत व्यक्ति पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और जांच कार्यवाही शुरू करेगा।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी को अधिनियम की धारा 4, 5, 5 (ए) और 5 (बी) की उप-धारा (4) के तहत उल्लंघन के निर्णयन के प्रयोजनार्थ जांच करने की शक्ति होगी।

(4) इस अधिनियम की धारा 5 सी के तहत निर्णयन के प्रयोजनार्थ जांच करने हेतु कि क्या किसी व्यक्ति ने उक्त अधिनियम में उल्लिखित नियम 21 के उप नियम (3) के संदर्भ में किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है या जिन नियमों के संबंध में उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है, न्यायनिर्णायक अधिकारी सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे नोटिस दिए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर इस मामले में पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

(5) ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियम 21 के उप नियम (4) के तहत दिए गए प्रत्येक नोटिस में उसके द्वारा किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृति, अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन और मामले पर सुनवाई की तारीख का उल्लेख किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति भी ऐसे नोटिस के साथ संलग्न की जाएगी।

(6) सुनवाई की निर्धारित तारीख पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कथित उल्लंघन के संबंध में उक्त अधिनियम या नियमों के प्रावधान का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करेगा जिसका उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है।

(7) न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई को अगली तारीख के लिए स्थगित किया जा सकता है: बशर्ते नियम 21 के उप नियम (4) में निर्दिष्ट नोटिस में संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर छूट दी जा सकती हो।

परंतु यह भी कि न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 21 के उपनियम (6) के तहत उल्लिखित पहली सुनवाई की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा।

(8) इस नियम के तहत जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने की शक्ति होगी, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच के मामले में उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है।

(9) यदि कोई व्यक्ति नियम 21 के उप नियम (4) और (5) के अनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद जांच की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

(10) जुर्माने की मात्रा का निर्णय करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित का ध्यान रखेगा, अर्थात :-

(क) उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ या अनुचित लाभ,जहां भी मापयोग्य हो, की राशि;

(ख) उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुई या संभावित हानि की राशि;

(ग) बार-बार उल्लंघन करने की प्रवृति;

(घ) क्या उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना है; और

(ङ) कोई अन्य प्रासंगिक कारक

(11) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि वह व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय या उनमें से कोई जिसके खिलाफ जांच की गई है, नियम 21 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट किसी भी प्रावधान के तहत जुर्माना या किसी उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई के लिए दायी है तो अधिनियम की संगत धारा के प्रावधानों के अनुसार, वह जैसा उचित समझे, लिखित आदेश द्वारा जुर्माना लगा सकता है।

(12) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय जिनके खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच की गई है ,उनमें से कोई, असंदिग्ध सिद्ध हुआ है तो न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले को खारिज कर देगा।

(13) नियम 21 के उपनियम (11) के तहत दिए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम या नियमों या विनियमों के प्रावधान के स्पष्ट उल्लेख होंगे जिनके संबंध में उल्लंघन हुआ है और ऐसे निर्णय के लिए संक्षिप्त कारण भी दिए जाएंगे। आर्थिक दंड

लगाते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी को नियम 21 के उप नियम (10) का सम्यक ध्यान रखना होगा। ऐसे जुर्माने का भुगतान https://bhartkosh.gov.in/ भुगतान पोर्टल पर किया जाएगा।

22. **अपील:-**

(1) उक्त अधिनियम की संगत धारा और नियम 21 के उप नियम (11) के तहत दिए गए आदेश से पीडित कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम की धारा 5 डी के तहत उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, वह अपीलकर्ता के लिए प्रासंगिक है, की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर कृषि विपणन सलाहकार के समक्ष अपील करेगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद की गई कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी बशर्ते कि किसी अपील को उसके लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अधिकतम तीस दिनों के भीतर स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता कृषि विपणन सलाहकार को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील नहीं कर पाने का पर्याप्त कारण है।

(2) किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा कृषि विपणन सलाहकार को अपील ज्ञापन अनुलग्नक I के अनुसार प्रस्तुत करते हुए पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। डाक द्वारा प्रेषित अपील ज्ञापन जो अनुलग्नक II के अनुसार है के कार्यालय में प्राप्त होने के दिन ही कार्यालय में प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

(3) नियम 22 के उप नियम (1) के तहत की गई प्रत्येक अपील ज्ञापन के आधारों को अलग-अलग शीर्षकों के तहत संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हें क्रमवार क्रमांकित किया जाएगा।

(4) अंतरिम आदेश या निर्देश प्राप्त करने के लिए अलग से अपील ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, यदि अपील ज्ञापन में इसके लिए अनुरोध किया गया है।

(5) धारा 5डी के तहत की गई प्रत्येक अपील दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और इसके साथ जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उसकी एक स्व-सत्यापित प्रति भी संलग्न की जाएगी।

(6) धारा 5डी के तहत की गई प्रत्येक अपील के साथ लगाए गए जुर्माने का 10% शुल्क या न्यूनतम दो हजार रुपये की राशि को https://bhartkosh.gov.in/ भुगतान पोर्टल पर जमा कराए जाने की रसीद संलग्न करनी होगी।

(7) कृषि विपणन सलाहकार को प्रस्तुत की गई प्रत्येक अपील अंग्रेजी या राजभाषा या राज्य की स्थानीय भाषा में होगी और मानक याचिका कागज में विधिवत पृष्ठांकित, अनुक्रमित, एक तरफ डबल स्पेस में साफ़ और सुपाठ्य रूप से टाइप या मुद्रित की जाएगी और पेपरबुक शैली में एक साथ बंधी होगी।अपील को पैराग्राफों में विभाजित किया जाएगा और उन्हें क्रमवार क्रमांकित किया जाएगा। कृषि विपणन सलाहकार के समक्ष की गई किसी भी अपील में प्रत्येक इंटरलाइनेशन के मिटाने या सुधारने या विलोपन पर पक्षकार या उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(8) कृषि विपणन सलाहकार अपीलकर्ता या न्यायनिर्णायक अधिकारी या मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति से प्रासंगिक दस्तावेज मांग सकता है और मामले में ऐसी जांच के बाद जिसे वह आवश्यक समझे और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद जैसा उचित समझे, ऐसा आदेश पारित कर सकता है।

(9) अपील का निपटारा अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

(10) कृषि विपणन सलाहकार स्वतः संज्ञान लेकर या समय-समय पर निदेशालय द्वारा यथा निर्दिष्ट प्रपत्र में किए गए आवेदन के आधार पर, नियम 21 के उपनियम (11) के तहत किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी जिसे उनके द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा और पुनर्विचार कर सकते हैं और वह समीक्षा के बाद ऐसे अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि, आशोधन या रद्द कर सकते हैं।"

[फ़ा. सं.-क्यू-11047/05/एपी(जी&एम) एक्ट/2022-मानक]

फ़ैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (विपणन)

नोट–मूल नियम भारत के राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 434 दिनांक 17 मई, 1989 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार जी.एस.आर संख्या 796(अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 के तहत संशोधित किए गए थे।

अनुलग्नक-I

अपील प्रपत्र

सेवा में

कृषि विपणन सलाहकार

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

ब्लॉक ए, न्यू सीजीओ कॉम्प्लेक्स

फरीदाबाद

महोदय,

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु.....वर्षऔरनिवासी..... ..... एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और कथन करता हूँ कि:

2. मैं फर्म अर्थात्..... का एकमात्र मालिक/साझेदार/निदेशक हूं, जो..... .....पर स्थित है।

3. कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नाकंन) अधिनियम, 1937 यथा संशोधित 2023 तक, के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, न्यायनिर्णायक अधिकारी, (स्थान) द्वारा पारित आदेश दिनांक.....के खिलाफ अपील प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(अपीलकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-II

विषय-सूची

(विषय-सूची का नमूना)

क्र.सं.	**प्रदर्श विवरण**	**पृष्ठ सं.**
1.	अपील ज्ञापन	
2.	न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक..... की प्रति	
3.	अन्य संगत दस्तावेज और संलग्नक	

अपील ज्ञापन

1. अपीलकर्ता का विवरण

   i. अपीलकर्ता का नाम:

   ii. अपीलकर्ता का पता:

   iii. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जारी आदेश पर पता:

   iv. संपर्क विवरण (ईमेल/टेलीफोन)

2. मामले के तथ्य: यहां मामले के तथ्यों और निर्दिष्ट आदेश के खिलाफ अपील के आधारों का कालक्रमानुसार संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैराग्राफ में यथासंभव स्पष्टतः अलग-अलग मुद्दे, तथ्य या अन्यथा सम्मिलित हों।

3. प्रार्थित अनुतोष: पैराग्राफ 2 में उल्लिखित तथ्यों और आधारों जिन पर विवादित आदेश को चुनौती दी गई है, के तथ्यों के मद्देनजर अपीलकर्ता निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना करता है।

4. मामला किसी अन्य अदालत में लंबित नहीं हैं: अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि जिस मामले के संबंध में यह अपील की गई है, वह किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

5. प्रदत्त अपील शुल्क के भुगतान का विवरण:

   i. शुल्क की राशि रु. में:

   ii. भुगतान का प्रकार और बैंक और लेन-देन आईडी:

6. संलग्नकों की सूची और संलग्नक:

(अपीलकर्ता के हस्ताक्षर)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2024

G.S.R. 371(E).—Whereas, the draft of the General Grading and Marking (Amendment) Rules, 2024 was published *vide* notification number G.S.R. 245(E), dated the 12th April, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) to amend the General Grading and Marking Rules, 1988 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 12th April, 2024;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules within the specified period have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

(1) These Rules may be called the General Grading and Marking (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the official Gazette of India.

(3) In the General Grading and Marking Rules, 1988 (herein after referred to as the principal rules), in rule 2, after clause (r) the following clauses shall be inserted, namely:-

"(s) "Adjudicating Officer" means any officer appointed or notified under clause (c) of section 5 of the Act;

(t) "Inquiry" means the inquiry referred in clause (c) of section 5 of the Act."

(4) In the principal rules, in rule 2, the following clause shall be inserted, namely: - "The words and expressions used herein but not defined in these rules but defined in the Act and rules made thereunder shall have the same meaning as assigned to them in the Act and the said rules, as the case may be."

(5) In the principal rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:-

"20. Penalty:-

(1) Any person or body of persons without being authorised found to be involved in to grade and mark any article under the provisions of the Act shall attract penalty as provided under section 4 of the Act by the Adjudicating Officer.

(2) Any person or body of persons found to be involved in any activity to counterfeit any grade designation mark or who has in his possession any die, plate or other instrument for the purpose of counterfeiting a grade designation mark shall attract penalty as provided under section 5 of the Act by the Adjudicating Officer.

(3) Any person or body of persons found to be involved in any activity to sell any scheduled article which is misgraded or not conforming to any prescribed grade as per section 3 of the said Act shall attract penalty as provided under section 5 (A) of the Act by the Adjudicating Officer.

(4) Any person or body of persons found to be involved in selling any scheduled article which is not marked with the grade designation mark as notified in official gazette shall attract penalty under sub-section (4) of section 5 (B) of the Act by the Adjudicating Officer."

(6) In the principal rule, after rule 20, the following rules shall be inserted, namely:-

"21. Adjudication proceedings:-

(1) An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India, duly authorised by the Central Government for purpose of penalty, if found that any article belongs to any person or body of person has contravened section 4, 5, 5(A) and sub-section (4) of section 5(B) of the Act and he will report to the Adjudicating Officer for adjudication of the contravention alleged to have been committed.

(2) The Adjudicating Officer shall examine the case as per provisions of the Act under which the person has been alleged for contravention and commence the inquiry proceedings.

(3) The Adjudicating Officer shall have power to hold an inquiry for purpose of adjudicating on contraventions under sections 4, 5, 5(A) and sub-section (4) of section 5(B) of the Act.

(4) For holding an inquiry for the purpose of adjudication under section 5C of the Act as to whether any person has committed contravention to any of the provisions of the Act referred to in sub-rule (3) of rule 21 herein or the rules in

respect of which the contravention is alleged to have been committed, the Adjudicating Officer shall, in the first instance, issue a notice to such person giving him an opportunity to make a representation in the matter within thirty days from the date of service of the notice.

(5) Every notice under sub-rule (4) of rule 21 to any such person shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed by him, the provisions of the Act alleged to have been contravened and the date of hearing of the matter. A copy of the report of the authorised officer shall also be annexed to such notice.

(6) On the date fixed for hearing, the Adjudicating Officer shall explain to any person or body of persons proceeded against or to his authorised representative, the contravention alleged to have been committed by such person, indicating the provision of the Act or rules in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

(7)The Adjudicating Officer shall then give an opportunity to such person to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary the hearing may be adjourned to a future date: provided that the notice referred to in sub-rule (4) of rule 21 may, at the request of the person concerned, be waived:

provided further that the Adjudicating Officer shall pass the final order within ninety days from the date of first hearing mentioned under sub-rule (6) of rule 21 above**.**

(8) While holding an inquiry under this rule, the Adjudicating Officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Adjudicating Officer may be useful for or relevant to, the subject matter of the inquiry.

(9) If any person fails, neglects or refuses to appear as required by sub-rule (4) and (5) of rule 21 before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer may proceed with the inquiry in the absence of such person, after recording the reasons for doing so.

(10) While adjudging the quantum of penalty an adjudicating officer shall have due regard to the following, namely:–

(a) the amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention;

(b) the amount of loss caused or likely to be caused to any person as a result of the contravention;

(c) the repetitive nature of the contravention;

(d) whether the contravention is without his knowledge; and

(e) any other relevant factor.

(11) If, upon consideration of the evidence produced before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer is satisfied that the person or body of persons or any of them against whom the inquiry has been conducted, has become liable to penalty or any suitable administrative action under any of the provisions referred to in sub-rule (3) of rule 21; he may, by order in writing, impose such penalty as he thinks fit, in accordance with the provisions of the relevant section of the Act.

(12) If the Adjudicating Officer is satisfied that any person or body of persons or any of them against whom the inquiry has been conducted for the contravention of provisions of the Act, has or have not been proven beyond doubt, the Adjudicating Officer shall dismiss the case.

(13) Every order made under sub-rule (11) of rule 21 shall specify the provisions of the Act or the rules or the regulations in respect of which the contravention has taken place and shall contain brief reasons for such decision. While imposing monetary penalty, the Adjudicating Officer shall have due regard to sub-rule (10) of rule 21. Such penalty shall be remitted on *https://bharatkosh.gov.in/* payment portal.

22. Appeal:-

(1) Any person aggrieved by an order made under relevant section of the said Act and sub-rule (11) of rule 21 shall file an appeal under section 5D of this Act to the Agricultural Marketing Adviser within thirty days from the date of receipt of order against which the appeal is filed, is relevant by the appellant. No appeal shall be admitted, if it is preferred after the expiry of the period prescribed: provided that an appeal may be admitted a maximum of another thirty days after the expiry of the period prescribed thereof, if the appellant satisfies the Agricultural Marketing Adviser that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed period.

(2) A memorandum of appeal shall be presented as per Annexure I by any aggrieved person to the Agricultural Marketing Adviser and shall be sent by registered post. A memorandum of appeal as per Annexure II sent by post shall be deemed to have been presented in the office on the day it is received in the office.

(3) Every Memorandum of Appeal filed under sub-rule (1) of rule 22 shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of such appeal and such grounds shall be numbered consecutively.

(4) It shall not be necessary to present separate memorandum of appeal to seek interim order or direction, if the same is prayed for in the Memorandum of Appeal.

(5) Every appeal made under section 5 D shall be filed in duplicate and shall be accompanied by a self-attested copy of the order appealed against.

(6) Every appeal made under section 5 D shall be accompanied by a receipt of fee of 10% of the penalty imposed or minimum two thousand rupees to be remitted on *https://bharatkosh.gov.in/* payment portal.

(7) Every appeal presented to the Agricultural Marketing Adviser shall be in English or official language or the local language of the state and shall be fairly and legibly typed or printed, in double spacing on one side of standard petition paper, duly paginated, indexed and stitched together in paper book form. Appeal shall be divided into paragraphs and shall be numbered consecutively. Every interlineations erasing or correction or deletion in any appeal filed before the Agricultural Marketing Adviser shall be duly signed by the party or his authorised person in writing.

(8)The Agricultural Marketing Adviser may call for relevant documents from the appellant or adjudicating officer or any person relevant to the matter and may after such inquiry in the matter as he considers necessary and after giving an opportunity to the parties to be heard, pass such orders as he thinks fit.

(9)The appeal shall be disposed of within sixty days from the date of filing appeal.

(10) The Agricultural Marketing Adviser suo-moto, or on an application made in the form as specified by the Directorate from time to time, review and reconsider any order passed under sub-rule (11) of rule 21 by an adjudicating officer to whom the powers have been delegated by him and may confirm, modify or set aside the orders passed by such officer after the review."

[F. No.-Q-11047/05/AP(G&M) Act/2022-Std]

FAIZ AHMED KIDWAI, Addl. Secy. (Marketing)

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India *vide* GSR no. 434, dated 17th May, 1989 and were last amended *vide* G.S.R. no. 796(E), dated 30thOctober, 2009.

Annexure -I

FORM OF APPEAL

To,

The Agricultural Marketing Adviser Directorate of
Marketing and Inspection

Block A, New CGO Complex Faridabad

Sir,

1. I, ……, S/o, D/o, W/o.....

aged…… years and resident of…..... do hereby solemnly affirm and state that:

2. I am the sole Proprietor/ Partner/ Director of the firm namely……..

…… situated at ……

3. In accordance with the provision of the Agricultural Produce (Grading & Marking) Act, 1937 amended up to 2023 and the Rules made thereunder, an appeal against the order dated passed by the Adjudicating Officer, (Place).

(Signature of the Appellant)

Annexure -II

INDEX (Specimen Index)		
Srl. No.	**EXHIBIT PARTICULARS**	**Page No.**
1.	Memorandum of Appeal	
2.	Copy of the Order dated______issued by the Adjudicating Officer	
3.	Other relevant documents and enclosures	

MEMORANDUM OF APPEAL

1. Particulars of the Appellant

    i. Name of the Appellant:

    ii. Address of the Appellant:

    iii. Address on the Order issued by the Adjudicating Officer

    iv. Contact details (email/ telephone)

2. Facts of the case: Here give a concise statement of facts of the case and grounds of appeal against the specified order, in a chronological order, each paragraph containing as neatly as possible a separate issue, fact or otherwise.

3. Relief(s) sought: In view of the facts mentioned in paragraph 2 and the grounds on which the impugned order is challenged, the Appellant prays for the following relief(s).

4. Matters not pending with any other court: The Appellant further declares that the matter regarding which this appeal has been filed, is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal.

5. Payment of appeal fee paid:

    i. Amount of fee Rs.:_____

    ii. Mode of Payment and Bank and Transaction id:______

6. List of enclosures and enclosures

(Signature of the Appellant)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.06 17:01:36 +05'30'